वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर

संख्याः- 343/XVII(1)-3/2009-09(25)/2007

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग-3 देहरादून दिनांक 10 सितम्बर, 2009

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के आयोजनेत्तर पक्ष के अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक संख्या-2002/सै0क0/अवशेष बजट मांग/09-10/ दिनांक 19 अगस्त, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 में आयोजनेत्तर पक्ष के अवचनबद्ध मद में प्राविधानित धनराशि (*लेखानुदान 01 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक की पूर्व में स्वीकृत धनराशि को घटाते हुये*) संलग्नक के अनुसार **रुपये 26,33,000/- (रुपये छब्बीस लाख तैत्तीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्याः 515/XXVII(I)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि, जिसमें सामग्रियों का क्रय किया जाना प्रस्तावित हो, में सामग्री क्रय करते समय नियमानुसार अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। फर्नीचर, मशीन, उपकरण आदि का क्रय पूर्व अनुपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित करते हुये यथाआवश्यकता ही किया जाय।

3. आयोजनेत्तर पक्ष की अन्य मदों/शीर्षकों की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने एवं धनराशि निर्वतन पर रखने के लिये वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

4. आयोनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशियों तथा अवचनबद्ध मद में प्राविधानित अन्य धनराशियों हेतु नियमानुसार पृथक से प्रस्ताव निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

5. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

6. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।

7. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।

8. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

9. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 तथ आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

10. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

11. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

12. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

13. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय-सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

15. समस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलबध कराएं।

16. बी0एम0-13 पर संकलित मासिक सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

17. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के अंतर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

18. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः-196(NP)/XVIII-3/2009, दिनांक 07 सितम्बर, 2009 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः <u>यथोपरि</u>।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्याः-343(1)/XVII(1)-3/2009-09(25)/2007 तद्दिनांकित</u>।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

शासनादेश संख्याः 843 /XVII-3/2009-09(25)/2007 दिनांक 10 सितम्बर, 2009 का

संलग्नक

1. अनुदान संख्या-15 आयोजनेत्तर मतदेय

लेखाशीर्षक : **2235-60-200-03-01**

मुख्य शीर्षक : 2235-सामजिक सुरक्षा तथा कल्याण

उप मुख्य शीर्षक : 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

लघु शीर्षक : 200-अन्य कार्यक्रम

उप शीर्षक : 03-सैनिक कल्याण

ब्यौरेवार शीर्षक : 0301-सैनिक मुख्यालय

(धनराशि हजार रुपये में)

मानक मद	बजट प्राविधान वर्ष 2009-10	पूर्व में लेखानुदान में आवंटित धनराशि	वर्तमान में आवंटित की जा रही धनराशि
	(A)	(B)	(A-B)
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200	-	200
25-लघु निर्माण कार्य	500	-	500
26-मशीनों और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	800	-	800
29-अनुरक्षण	700	-	700
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	500	67	433
योग	**2700**	**67**	**2633**

(रुपये छब्बीस लाख तैत्तीस हजार मात्र)

(राधा रतूड़ी)
सचिव।